तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	8/5/21 अधिकारान्त न्यायालय न्यायाधीश पीठासीन अधिकारी के न्यायालय में/भ्रमण/स्थानान्तरण हो चुका है। पत्रावली उपरोक्त न्यायालय/न्यायाधीश पर गये हुए को प्रस्तुत हो। दिनांक 6/5/21
6.5.21	पत्रावली पेश हुई प्रार्थी अपने वकील उपस्थित हुए। पत्रावली का निरीक्षण कर तामिल प्राप्त होने के पश्चात भी आज डिक्री तक उपस्थित नहीं होने पर पूर्व में दी इकतरफा विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही निरस्त में छोड़ा था ~~जुर्माना भी~~ अपने वकील ने निवेदन किया की वाद निस्तारण तक अपीलार्थी के विरुद्ध पारित निरस्तीकरण निषेधाज्ञा डिक्री 16.8.2019 को स्थगित किया जावे। अतः मेरे अपने वकील के कथन से सहमत हूँ तथा अपीलार्थी के विरुद्ध पारित निरस्तीकरण निषेधाज्ञा को ताकीद करते तक स्थगित किया जाता है। पत्रावली प्रेमसुख चेकर बाद जाता सरिवल हो। सहायक कलेक्टर (SDO), खींवसर